अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ– 27(252)ग्राविवि / ग्रुप–5 / जीकेएन / एसओपी / 2015–16 जयपुर, दिनांक 06 अप्रेल, 2016

स्थायी आदेश संख्या– 26 / 2016

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ– 27 (79) ग्रावि / अनु.5 / जीकेएन / प्रशा.अनु.स. / 2014 दिनांक 17.9.2014 के क्रम में जारी स्थाई आदेश संख्या– 25 / 2015 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा शिड्यूल ऑफ पॉवर्स तालिका – 1 में निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों में संशोधन किया गया है; जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत के लिए प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति को प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.2014 द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पॉवर की तालिका 1 व 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

परिशिष्ठ –1 प्रशासनिक स्वीकृति

क्र. सं.	कार्य / आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी / समिति जिसको शक्तियाँ निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में)		शर्तें / टिप्पणियां
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव / मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1–अ	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त)	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	0.50 लाख	शर्तें / टिप्पणीयां क्र.सं. 1 से 12 यथावत लागू होगी। एव निम्न अतिरिक्त शर्त संख्या–13 भी लागू होगी। 13 सड़क निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तों के लिए भूमि से सम्बंधित काश्तकारों से सहमति, नियमानुसार शपथ पत्र लेने के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा।
		विकास अधिकारी (पंचायत समिति के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	2.00 लाख	

परिशिष्ठ –2 वित्तीय स्वीकृति (संशोधित सहित)

क्र. सं.	कार्य / आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी / समिति जिसको शक्तियाँ निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में)		शर्तें / टिप्पणियां
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव / मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1–अ	निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति (मूल) (विधायक व सांसद कोष, महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त)	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	0.50 लाख	शर्तें / टिप्पणीयां क्र.सं. 1 से 10 यथावत लागू होगी।
		विकास अधिकारी (पंचायत समिति के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	2.00 लाख	

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव

C:\Users\user\Desktop\BSR Letter 31.03.2016.docx Page | 201